विचार बिन्दु

सनास्त कर्म का लक्ष्य आनंद की ओर है। -टैगोर

अपना घर-आंगन हो, सपना है, छूटना नहीं चाहिए

जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ का दिनांक 13 नवम्बर, 2024 का निर्णय जिसमें बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश दिये हैं, एक अदभुत और पढनीय निर्णय है। आचार संहिता के लिए 'टेन कमान्डमेन्ट' के बाबत सुनते आये हैं। इन्हीं की लाइन पर न्याय के बाबत जानकारी के हेतु 'गीता' पढ़ते हैं। इन्हीं की लाइन पर न्याय के बाबत जानकारी के लिये हमें Direction in the matter of demolition of structures v. and ors., Writ Petition (Civil) No.295/2022 (and connected cases) पढ़ना चाहिये। इस निर्णय में माननीय खण्डपीठ ने अनुच्छेद 21 की कई व्याख्याओं में एक नई व्याख्या जोडते हुये कहा है कि Shelter is one of the facets of Article 21 न्याय की विशेषता है कि उसमें जज की आत्मा की आवाज सुनाई दे और निर्णय का यह सनातन पक्ष उक्त निर्णय में प्रतिध्वनित हो रहा है।

मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का यह केस है जिसमें देश के लोगों के साथ, अन्य लोगों ने भी चिन्ता अभिव्यक्त की है।

जस्टिस वी.आर. गवई ने अपने 95 पृष्ठों के निर्णय का प्रारम्भ देश के यशस्वी कवि प्रदीप की कविता से किया है। कविता के लिये कहा गया है हृदय से उसका निस्तारण उस समय होता है जब वेदना पैदा होती है, दिल टूटता है। किसी ने सच कहा है, ''आह से निकला होगा गान तभी बनी होगी'', कविता 'अनजान'। कविता का पद निम्नलिखित है:-

अपना घर हो, अपना आँगन हो,
इस ख्वाब में हर कोई जीता है।
इन्सास में दिल की चाहत है कि घर,
का सपना कभी न छूटे।।

ऐसा मालूम होता है न्यायमूर्ति गवई का दिल केस के तथ्यों से रो पडा हो और उस पीडा ने निर्णय को जन्म दिया है जो उत्पीडितों के लिये भावांजली है। यह सच है घर सबके लिये सपना है, उनका आश्रय है। उनके सम्मान की निशानी है। आश्रय मौलिक अधिकार है।

इसी बात को संसार के प्रसिद्ध न्यायविद् लॉर्ड डेनिंग ने केस (1964) IQB 308 के निर्णय में न्याय सिद्धान्त को अपने घर की महिमा का तथा आश्रय के अधिकार के बाबत कहा था कि गरीब को अपने घर में रहने का अधिकार है, चाहे घर की छत इतनी कमजोर हो कि छोटा तूफान भी उसे झकझोर दे, चाहे वर्षा का पानी घर में घुस जावे किन्तु बादशाह की फौज भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती जब तक देश का कानून प्रवेश को न्याय संगत न माने।

बुलडोजर के एक्शन पर सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट् याचिकायें पेश की गई थीं उसमें निर्णय के लिये विवाद था कि क्या अपराधी (Accused) की सम्पत्ति को तोड़ा (Demolish) जा सकता है। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी के आशियाना को सजा देने की नियत से ढ़हा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा था कि अचल सम्पत्ति/@Immovable property can be demolished only in accordance with the procedure prescribed by law अर्थात् घरों की तोडफोड नियमों की पालना कर की जावेगी। माननीय खण्डपीठ ने फैसले में यही कहा है कि यदि लोगों के घर सिर्फ इसलिये ढ़हा (तोड़) दिये जायें कि व्यक्ति आरोपी या दोषी है तो वह असंवैधानिक है। खण्डपीठ ने माना कि संविधान और क्रिमिनल कानूनों के अनुसार आरोपियों और दोषियों के भी अधिकार होते हैं। निर्णय में कहा कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। बदले की कार्यवाही के हेतु भी वह किसी भी अचल सम्पत्ति घर या दुकान को बुलडोजर द्वारा नष्ट नहीं कर सकती।

पीठ ने माना है बुलडोजर से सम्पत्तियों को तोड़ना, ढहाना अराजकता का कृत्य है। ऐसे कृत्यों के लिये कानून व संविधान में कोई जगह नहीं है। यह कृत्य कानून के शासन पर हमला माना जावेगा, क्षमा योग्य नहीं है। यह कृत्य कानून की आत्मा पर चोट देता है। राज्य का काम तो सबको सुरक्षा प्रदान करना है। घर व्यक्ति अथवा परिवार जनों की आशा है, उनका सुरक्षा कवच है। केवल इस आधार पर मकान/दुकान तोड़ना कि व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है यह कृत्य Due Process of Law की परिभाषा में नहीं आता। न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में लिखा है कि सजा के नाम पर किसी का आशियाना तोड़ना/छीनना हमारे लोकतंत्र के संविधान के विरूद्ध है।

यदि हम 95 पृष्ठ के इस ऐतिहासिक निर्णय को पढ़ें तो पायेंगे कि न्यायालय के समक्ष कई केस प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें घर व दुकान को निर्दयता से, बिना किसी विवेक के, आक्रमण कारी बनकर ढ़हाया गया था। जिन लोगों के घर तोडे हैं उनमें जावेद मोहम्मद का केस भी है। घटना 10 जून 2022 की है जब जावेद मोहम्मद को नेता नुपूर शर्मा विवाद में विरोध प्रदर्शन के समय हिंसा भडकाने के साजिशकर्ता होने के आरोपों में गिरफ्तार किया गयाथा तथा दो दिन बाद ही बुलडोजर एक्शन हो गया। एक अन्य केस उदयपुर का है एक स्कूल छात्र का मामला है, उसने अपने सहपाठी की चाकू मारकर हत्या की थी। फलस्वरूप दंगा (Riot) हो गया। जिला प्रशासन ने स्कूली छात्र का घर तोड दिया।

घर मूलभूत अधिकार है। परिवार की महिलायें व बच्चे सड़क पर आ जावें यह अनुचित है। अवैध निर्माण गिराने में पक्षपात नहीं होना चाहिये। किसी ने सुझाव दिया कि सजा के नाम पर घर तोडना असंवैधानिक है उचित नहीं है। तोड़ने के लिये यह बतलाना होगा कि पूरा घर तोड़ना ही विकल्प था। तोडने से पहले नोटिस देना व पर्याप्त समय देना उचित प्रक्रिया होगी।

दिल्ली के गणेश व रतलाम का मजदूर जावेद व रशीद आदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुश है, उन्हें मुआवजे की उम्मीद थी, किन्तु कोर्ट के निर्णय में मुआवजों के बाबत कोई निर्देशन है। हाँ, जस्टिस चन्द्रचूड ने एक केस में 25 लाख का हर्जा दिलाया है।

उपरोक्त कुछ घटनाओं का उल्लेख है। घटनायें बहुत हैं। घटनायें हृदय विदारक हैं। आत्मा को झकझोर देती हैं। अपना घर होना व्यक्ति का सपना है, उसका छीना जाता उसके लिये मृत्यु जैसा है। सरकार का यह कार्य तानाशाही कृत्य है। लोकतंत्र में यह दुर्भाग्य की घटना है। जस्टिस चन्द्रचूड ने अपने अन्तिम निर्णय में अपने मत को समर्थन देने के लिये संविधान के अनुच्छेद 300ए जो सम्पत्ति के अधिकार के बाबत है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के अधिकार के बिना व्यक्तियों को सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जावेगा।

देश में सरकारी जमीन, राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत आदि में टमेज रहती हैं। ऐसी भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को ट्रेसपासर माना गया है और कानून के माध्यम से ट्रेसपासर को जमीन से बेदखल करने का प्रावधान है और अधिकार। अत: खण्डपीठ ने माना है कि अवैध कब्जे व अवैध निर्माण को हटाया जा सकता; किन्तु यह उसी समय वैध होगा जब कानून में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही हो अन्यथा नहीं। अपने निर्णय के पेरा 9 में इस स्थिति को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि ''हमारा आदेश उस परिस्थिति में लागू नहीं होगा यदि अवैध निर्माण पब्लिक प्लेस, यानी सड़क, स्ट्रीट, फुटपाथ, रेल्वे लाइन्स सटी जमीन, नदी या वाटर बॉडीज (जल निकाय) की जमीन पर हो, अथवा तोड़ने का आदेश, किसी न्यायालय ने दिया हो''।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि कई नगर पालिका यानी स्वायत्त शासन की संस्थानों जैसे जयपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी एक्ट के कानूनों में प्रावधान हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर बिना अनुमति लिये तामीर करता है और ऐसी तामीर को बने 10 वर्ष का समय हो चुका है, तो तोड़ा नहीं जावेगा। चूंकि निर्णय में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है अत: इस विशेष स्थिति का यहां उल्लेख किया गया है। वस्तुत पेरा 6 के पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुलडोजर जस्टिस का मामला केवल सरकारी जमीन पर किये गये Structure (निर्माण) पर ही लागू होगा। अपनी जमीन पर बिना इजाजत तामीर का मामला भिन्न परिस्थिति है। नगर पालिका कानूनों में इस हेतु प्रावधान हैं।

बुलडोजर न्याय का मामला सरकारी जमीन पर की गई तामीर से सम्बन्ध रखता है। इस बाबत कोई सीधा कानून नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति होती है, तो संविधान में न्याय करने के हेतु यह प्रक्रिया दी है कि वह तत्सम्बन्ध में निर्देश जारी करे। संविधान के अनुच्छेद 142 में यह व्यवस्था है। इस प्रावधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल व अन्य पिटीशन्स अनुच्छेद 32 के तहत् दर्ज रजिस्टर की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट में रिट् पिटीशन नं. 295/2022 (व अन्य) तामीर को तोड़ने के बाबत दर्ज रजिस्टर की गई हैं। खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 2.9.2024 से सभी पक्षकारों को अपने अपने सुझाव देने के हेतु आग्रह किया। पीठ ने सुझावों को नचिकेता जोशी, एडिशनल एडवोकेट जनरल, मध्यप्रदेश को भेजने के लिये कहा। उनसे कहा कि वे प्राप्त सुझावों को पीठ को इकट्ठा कर भेजेंगे। श्री नचिकेता ने प्राप्त सुझावों को कम्पाइल कर न्यायालय को भेजा। कई प्रकार के सुझाव जनता ने भेजे हैं। सभी ने आशीयाना तोड़ने का विरोध किया। किसी ने कहा परिवार के एक आदमी की गलती के कारण अन्य सभी परिवार के सदस्यों को बेघर नहीं किया जावे। किसी ने कहा बिना कारण बताओ नोटिस के घर तोडना अनुचित है। प्राय: सभी ने कहा बिना सुनवाई का अवसर दिये घर/दुकान से बेदखल करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना है। किसी ने कहा जो अफसर मनमाने ढंग से घर गिराता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जावे उसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिये और उसके खर्चे से दुबारा बनबाना चाहिये। कई ने कहा किसी भी परिवार के लिये घर एक सपना है, वह कई सालों की मेहनत का फल है। घर मूलभूत अधिकार है। परिवार की महिलायें व बच्चे सड़क पर आ जावें यह अनुचित है। अवैध निर्माण गिराने में पक्षपात नहीं होना चाहिये। किसी ने सुझाव दिया कि सजा के नाम पर घर तोडना असंवैधानिक है उचित नहीं है। तोड़ने के लिये यह बतलाना होगा कि पूरा घर तोड़ना ही विकल्प था। तोडने से पहले नोटिस देना व पर्याप्त समय देना उचित प्रक्रिया होगी।

संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने जो निर्देश अनुच्छेद 142 के तहत जारी किये हैं वे निम्नलिखित हैं:-

1) निर्माण को ध्वस्त करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जावे। यह नोटिस 15 दिन का होना चाहिये।

2) नोटिस की प्रति रजिस्टर्ड डाक से मालिक को भेजी जावे तथा दूसरी प्रति सम्पत्ति के बाहर चस्पा की जावे।

3) नोटिस में स्पष्ट किया जावे कि अवैध निर्माण की प्रकृति का क्या आधारहै।

4) संबंधित प्राधिकारी मालिक को अपना पक्ष रखने का अवसर दे। इसका विवरण सरकार रेकार्ड में लिखा जावे।

5) सम्पत्ति तोड़ने का अन्तिम नोटिस जारी करते समय अधिकारी मकान मालिक द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों का विवरण दे।

6) अवैध निर्माण तोडने की वीडियोग्राफी की जावे। रिपोर्ट निकाय पोर्टल पर डाली जावे।

7) दिशा निर्देशों की पालना न करने पर उसे अदालत की अवमानना मानकर कार्यवाही हो।

8) अधिकारी को बतलाया जावे कि गलत तरीके से अथवा दुर्भावना से की गई कार्यवाही में लिप्त पाये जाने पर तोडी गई सम्पत्ति का पुन: निर्माण उन्हें कराना होगा। क्षतिपूर्ति भी करनी होगी तथा व्यक्तिगत हर्जाना भी देना होगा।

9) एक भाग अनाधिकृत है तो यह बतलाना होगा कि पूरी सम्पत्ति को ध्वस्त करना एक मात्र विकल्प क्यों है।

10) सम्पत्ति ढहाने के आदेश के विरूद्ध कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अवसर मिलना चाहिये।

11) अवैध निर्माण गिराने में पक्षपात नहीं होना चाहिये।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भारत एवं इटली के मध्य सांस्कृतिक सेतु थे डॉ. एल.पी. टैसिटोरी

22 नवंबर को डॉ. एल. पी. टैसिटोरी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि

डॉ. दुलीचंद मीणा

इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में लुई द इंडियन के नाम से मशहूर एल पी टैस्सिटोरी ने अपने गुरूदेव शास्त्र विशारद् जैनाचार्य श्री विजय धर्म सूरी को लिखे पत्र में लिखा कि, ''मैं भारतवर्ष इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भारतवासियों, यहाँ की भाषा एवं साहित्य से प्रेम करता हूँ। मैं अभी तक कुंवारा हूं इस वक्त मैं 25 वर्ष का हूं। मैं भारतीय लड़की के सिवाय किसी दूसरी से शादी नहीं करूँगा।'' डॉ. तैस्सितोरी के उक्त विचार भारत एवं राजपूताना के प्रति उनकी आस्था एवं प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। राजस्थानी भाषा के महत्त्व को स्वीकार करने वाले डॉ. तैस्सितोरी पहले विदेशी विद्वान थे जिन्होंने राजस्थानी की मुक्त कंठों से इन शब्दों मे प्रशंसा की-

''मनैं जित्तो प्रेम म्हारी मातभासा इटालियन सूं है, उण सूं बेसी राजस्थानी सूं है,

कारण इण में बळ है, तेज है, ओज है, मिठास है, अर आ बड परबार भासा है।''

राजस्थान के इतिहासकारों में जो स्थान कर्नल टॉड का है, वही स्थान राजस्थान के साहित्यकारों में डॉ. लुइजि पियो तैस्सितोरी का है। डॉ. तैस्सितोरी का जन्म 13 दिसम्बर, 1887 को उदीने (इटली) में हुआ। उदीने में अपनी हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद तैस्सितोरी ने फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने भाषा विज्ञानी ग्राजियाडियो इसिया एसकोली से प्रभावित होकर संस्कृत पाठ्यक्रम में दाखिला लिया तथा संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर पाओलो एमीलियो पावोलिनी के निर्देशन में ''तुलसीदास की रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण'' का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जिस पर उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। पहले यह शोध-प्रबंध इतालवी भाषा में तथा बाद में अंग्रेजी में 'इण्डियन एंटीक्वेरी' के दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्राच्य भाषाओं के महान विद्वान डॉ. ग्रियर्सन डॉ. तैस्सितोरी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भारत सरकार को भारतीय रियासतों के मध्यकालीन इतिहास तथा वीरगाथा काव्य के शोध हेतु डॉ. तैस्सितोरी की सेवाएं प्राप्त करने की सिफारिश की। डॉ. ग्रियर्सन की सिफारिश पर ऐसियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता द्वारा डॉ. तैस्सितोरी को चारणी एवं ऐतिहासिक शोध सर्वेक्षण कार्य का अधीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया।

यूरोप में जब प्रथम विश्वयुद्ध के बादल मंडरा रहे थे तब डॉ. तैस्सितोरी 12 मार्च, 1914 को नेपल्स से यूरोपियन जलयान 'रोमां' से रवाना होकर बम्बई होते हुए 11 अप्रेल, 1914 को कलकत्ता पहुँचे। वहाँ उन्होंने एशियाटिक सोसायटी को पत्र लिखकर राजपूताना में जाकर राजस्थानी भाषा का अध्ययन करने का आवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर लिया गया। बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह के आमंत्रण पर तेस्सितोरी जोधपुर होते हुए बीकानेर पहुँचे। वहाँ उन्हें पहले 4 महीने तथा बाद में एक वर्ष के लिए बीकानेर राज्य में रखा गया।

महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें दरबार की लाईब्रेरी के काव्य व ऐतिहासिक सामठाी का अध्ययन कर भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाने का काम सौंपा गया। राजस्थान व राजस्थानी भाषा के प्रति तैस्सितोरी के रग-रग में प्रेम भरा हुआ था। उन्होंने डिंगल साहित्य की अपूर्व सेवा की। उन्होंने डिंगल साहित्य की अमूल्य निधि 'वचनिका राठौड़ रतनसिंह जी री महेस दासोत खिडिया जगारी कही', 'बेलि क्रिसन रुकमणी री', 'छन्द राव जैतसी रो' का संपादन किया और एशियाटिक सोसायटी से उन्हें प्रकाशित करवाया। राजस्थानी भाषा की ढूंढाड़ी बोली के ग्रंथ कर कुंडरी कथा का इटालियन भाषा में अनुवाद कर संपादन किया। श्री तैस्सितोरी ने अपभ्रंश, गुजराती व राजस्थानी भाषा का सांगोपांग अध्ययन किया जिसके आधार पर 'प्राचीन पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण' शीर्षक से एक शोध निबंध लिखा। जिसकी प्रशंसा में प्रसिद्ध भाषाविद् डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा है कि, पुरानी राजस्थानी, उच्चारण, रीति, रुपतत्व और वाक्य रीति के पूरे विचार के साथ तैस्सितोरी की आलोचना ऐसी महत्वपूर्ण है कि इसे मारवाड़ी तथा भाषा-तत्व की बुनियाद यदि कहा जायें तो अत्युक्ति न होगी। डॉ. नामवर सिंह ने इस निबंध का हिंदी में अनुवाद कर हिन्दी पाठकों के लिए सुरमय बनाया हैं।

डॉ. तैस्सितोरी भाषा शास्त्री के साथ-साथ अपनी पुरातात्विक पारखी दृष्टि से ऐतिहासिक एवं पुरातत्वविद भी साबित हुए हैं। उन्होंने अपने अन्वेषण मे मृण मूतियाँ, प्रस्तर प्रतिमाओं, शिलालेखों व मुद्राओं का संग्रह किया जो बीकानेर के राज्य संग्रहालय में संग्रहित है। उन्होंने पुरातात्विक अवशेष रंगमहल, मालिखेडी, बडोपल, कालीबंगा व पीलिबंगा आदि....

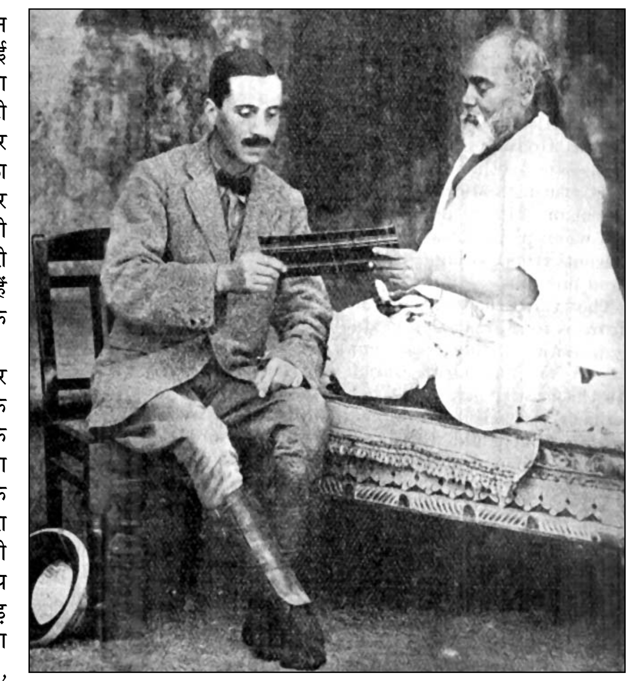

जैनाचार्य श्री विजय धर्म सूरी के साथ

-डॉ. दुलीचंद मीणा,
आर.ए.एस.

पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने पैदल यात्रा पर निकले विराग मधुमालती उदयपुर पहुंचे

■ **नवी मुंबई से विराग मधुमालती पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देने के लिए 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा ग्रीन वॉकेथोन पर निकले हैं**

उदयपुर, (कासं)। सौ दिन तक खुद की आंखों पर पट्टी बांधकर नेत्रदान की जागरूकता फैलाने के बाद अब नवी मुंबई से विराग मधुमालती पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देने के लिए 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा ग्रीन वॉकेथोन पर निकले हैं। विराग 961 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को उदयपुर पहुंचे। गायक विराग नवी मुंबई से 14 सितंबर को निकले थे जो नाकोड़ा जी तक जाएंगे। उदयपुर पहुंचने के साथ उन्होंने 24 घंटे लगातार 111 किलोमीटर पैदल चलकर पर्यावरण के जागरूकता हेतु इतिहास रचते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ़ इंडिया में नाम दर्ज करवाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विराग इससे पहले पांच बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर भारत का मान बढ़ा चुके हैं।

पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते विराग मधुमालती।

उदयपुर पहुंचे विराग ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सेव मदर अर्थ मिशन के जरिये उनका लक्ष्य 1 लाख पेड़ लगाने का है और अब तक उनकी टीम 31000 से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 14 सितंबर को नवी मुंबई से शुरू हुई थी जो नाकोड़ा भैरव देव के दर्शन के साथ विराम लेगी। इस 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा में उनकी पत्नी वंदना वानखेड़े भी साथ है जो पूरी टीम की व्यवस्थाएं संभाल रही है। उन्होंने कहा कि वे एक पार्श्वगायक गायक है ऐसे में नवी मुंबई से शुरू इस पैदल यात्रा के दौरान सुबह चलना शुरू करते हैं और जहां मुमकिन हैं वहां वृक्षारोपण करते हैं। इसी के साथ रात्रि विश्राम के दौरान भक्ति संगीत के माध्यम से आसपास के लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित करते हैं। पर्यावरण रक्षा के लिए उन्होंने आजीवन प्लास्टिक की बोटल में पानी नहीं पीने का भी संकल्प लिया है।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा का संकल्प ले चुके विराग की पत्नी वंदना ने बताया कि इससे पहले भी वे नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक कर चुके हैं। एक बार उनकी मुलाकात एक दृष्टिबाधित गायक से हुई थी उसके बाद उन्होंने भी 100 दिन तक अपनी आँखों पर पट्टी बांधे रखी। वे आँखों पर पट्टी बाँधकर ही कई जनजागृति के कार्यक्रम करते थे। इस दौरान उनकी तबियत ख़राब हो गई और आँखों की पट्टी ना खोलने पर आजीवन अंधे हो जाने की नौबत आ गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 100 दिन के बाद ही पट्टी खोली और नेत्रदान के लिए लगातार जागरूकता फैलाते रहे। मूल रूप से सिविल इंजीनियर विराग शास्त्रीय संगीत के अध्येता भी हैं। वे आज भी शास्त्रीय संगीत के नियमित रियाज के साथ ही पार्श्वगायक, गीतकार, संगीत निर्देशक, प्रोड्यूसर और फिल्म निर्देशक भी हैं। उनका नवी मुंबई में प्रॉडक्शन हाउस है, जहां पर फिल्म से जुड़े सभी कार्य करते हैं। वे एक गुरुकुल की स्थापना भी करने जा रहे हैं जहां फिल्म और संगीत से जुड़ी बारीकियों का ज्ञान देने के साथ ही युवाओं को इंडस्ट्री में अवसर प्रदान किया जाएगा।

सरकारी स्कूलों के 12 हजार टीचर्स का प्रमोशन

■ **शिक्षा विभाग में डीपीसी पिछले काफी से समय से लंबित थी, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को डीपीसी तुरंत करने के निर्देश दिए थे**

बीकानेर, (निसं)। शिक्षा विभाग ने 11 हजार 911 टीचर्स को प्रमोट कर दिया है। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्यालय पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा विभाग में शीघ्र सभी पदोन्नति (डीपीसी) करने के निर्देशों के बाद आज विभाग में 11 हजार 911 कार्मिकों की पदोन्नति सूची जारी की गई। जारी की गई पदोन्नति सूची में 88 उपाचार्य, 485 प्रधानाध्यापक, 24 उप जिला शिक्षा अधिकारी, 20 पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-1, 3564 प्राध्यापक (विभिन्न विषय) वर्ष 21-22 तथा 6966 प्राध्यापक (विभिन्न विषय) वर्ष 22-23 शामिल है। इसके अतिरिक्त 663 शारीरिक शिक्षक और 93 पुस्तकालय अध्यक्ष शामिल है।

शिक्षा विभाग में डीपीसी पिछले काफी से समय से लंबित थी। जिसको लेकर शिक्षा मंत्री चिंतित थे तथा अधिकारियों को डीपीसी तुरंत करने के निर्देश दिए थे। इससे सब्जेक्ट टीचर्स मिलेंगे, प्रिंसिपल और लेक्चरर की कमी दूर होगी।

प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि डीपीसी की प्रक्रिया अभी रुकेगी नहीं तथा विभाग में शेष रही पदोन्नति की सूचियां भी शीघ्र ही जारी की जाएगी। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पदोन्नत हुए सभी कार्मिकों को शीघ्र ही पदस्थापन कर दिया जाएगा।

राशिफल शुक्रवार 22 नवम्बर, 2024

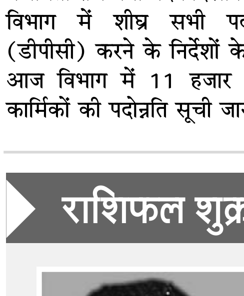

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, आश्लेषा नक्षत्र सायं 5:10 तक, ब्रह्म योग दिन 11:33 तक, बव करण सायं 6:08 तक, चन्द्रमा आज सायं 5:10 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग सायं 5:10 तक है। आज से राष्ट्रीय मार्गशीर्ष मास आरम्भ होगा।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:15 तक, लाभ-अमृत 8:15 से 10:54 तक, शुभ 12:13 से 1:32 तक, चर 4:11 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:56, सूर्यास्त 5:30

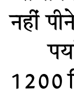

मेष

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मिथुन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

कर्क

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

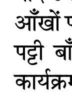

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। मन में असंतोष बना रहेगा।

कन्या

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

तुला

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृश्चिक

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

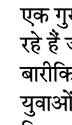

धनु

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन एवं आवश्यक कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मकर

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

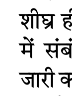

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन

परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आवश्यक वाद-विवाद टालना ठीक नहीं रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।